

फा.सं.7-11/2017-अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ

शास्त्री भवन, नई दिल्ली,

दिनांक: 28 अप्रैल, 2017

रिक्ति परिपत्र

विषय: संसद के अधिनियम के तहत गठित सांविधिक निकाय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग (एनसीएमईआई), नई दिल्ली, में प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) पर विभिन्न पदों की रिक्तियां भरना - आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सरकार (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग अधिनियम, 2004 (2005 का 2) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग (समूह-क, समूह-ख और समूह-ग पद) भर्ती नियमावली, 2016 से संबंधित दिनांक 12.07.2016 की अधिसूचना जारी की है जो दिनांक 13.07.2016 के भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित की गई थी। तदनुसार, केन्द्र सरकार ने (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) संसद के अधिनियम के तहत गठित सांविधिक निकाय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग (एनसीएमईआई) नई दिल्ली, में प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) पर विभिन्न पदों की रिक्तियां भरने का प्रस्ताव किया है, जिनके विवरण उनकी पात्रता मापदंडों के साथ निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	पद का नाम/रिक्त पदों की संख्या	पदों का वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद्धति	पात्रता
	क	ख	ग	घ	ड.
1	अवर सचिव (01 पद)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, सचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. (पीबी-3) ग्रेड-वेतन 6,600 रु.	प्रतिनियुक्ति	केन्द्रीय सरकार के अधीन अधिकारी: (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने, मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, वेतनमान 15600-39100/- रु. + ग्रेड वेतन - 5400/- रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो। या (iii) जिन्होंने, मूल काडर या विभाग

					में वेतन बैंड-3, वेतनमान 15600-3900/- रु. + ग्रेड वेतन - 4800/- रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो।
2	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव (वरि.पीपीएस) (1 पद)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, सचिवीय	रु. 15600-39100 (पीबी-3) ग्रेड-पे रु. 7600	प्रतिनियुक्ति	केन्द्र सरकार के अधीन अधिकारी: (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने, मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, वेतनमान 15600-39100/- रु.+ ग्रेड वेतन - 6600/- रु. या समतुल्य आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो।
3	सहायक (1 पद)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, सचिवीय	रु. 9300-34800 (पीबी-2) ग्रेड-पे रु. 4200	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या अर्द्धसरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन अधिकारी: (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने, मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, वेतनमान 9300-34800/- रु. + ग्रेड वेतन - 2800/- रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो। या (iii) जिन्होंने, मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, वेतनमान 9300-34800/- रु. + ग्रेड वेतन-2400/- रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर

					नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो।
4	निजी सचिव (4 पद)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, सचिवीय	रु. 9300- 34800 (पीबी- 2) ग्रेड-पे रु. 4600	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या अर्द्धसरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन अधिकारी: (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए गए हों; या (ii) जिन्होंने, मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, वेतनमान 9300-34800/- रु. + ग्रेड वेतन - 4200/- रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो।
5	वैयक्तिक सहायक (5 पद)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, सचिवीय	रु. 9300- 34800 (पीबी- 2) ग्रेड-पे रु. 4200	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या अर्द्धसरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन अधिकारी: (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने, मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, वेतनमान 5200-20200/- रु. + ग्रेड वेतन-2800/- रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो। या (iii) जिन्होंने, मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, वेतनमान 5200-20200/- रु. + ग्रेड वेतन - 2400/-

					रू. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो।
6	लेखाकार (1 पद)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	रू. 9300- 34800 (पीबी- 2) ग्रेड-पे रू. 4200	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या अर्द्धसरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन अधिकारी; (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने, मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, वेतनमान 5200-20200/- रू. + ग्रेड वेतन - 2800/- रू. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो। या (iii) जिन्होंने, मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, वेतनमान 5200-20200/- रू. + ग्रेड वेतन-2400/- रू. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो।
7	उर्दू अनुवादक (1 पद)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	रू. 9300- 34800 (पीबी- 2) ग्रेड-पे रू. 4200	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या अर्द्धसरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन अधिकारी; (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या (ii) जिन्होंने, मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, वेतनमान 5200-

					20200/- रू. + ग्रेड वेतन 2800/- रू. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो। या (iii) जिन्होंने, मूल काडर या विभागमें वेतन बैंड-1, वेतनमान 5200-20200/- रू. + ग्रेड वेतन - 2400/- रू. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो।
8	आशुलिपिक ग्रेड-घ (3 पद)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, सचिवीय	रू. 5200-20200 (पीबी-1) ग्रेड-पे रू. 2400	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या अर्द्धसरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठन के अधीन अधिकारी: जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो।
9	रीडर/उच्च श्रेणी लिपिक (1 पद)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, सचिवीय	रू. 5200-20200 (पीबी-1) ग्रेड-पे रू. 2400	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या अर्द्धसरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन अधिकारी: (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने, मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, वेतनमान 5200-20200/- रू. + ग्रेड वेतन 2000/- रू. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो। या (iii) जिन्होंने, मूल काडर या विभाग

					में वेतन बैंड-1, वेतनमान 5200-20200/- रु. + ग्रेड वेतन 1900/- रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की हो।
10	बहु कार्य कर्मचारीवृंद (6 पद)	साधारण सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	रु. 5200-20200 (पीबी-1) ग्रेड-पे रु. 1800	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या अर्द्धसरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठन के अधीन अधिकारी: जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो।

2. वेतन के विनियम और प्रतिनियुक्ति की अन्य शर्तें:

चयनित अभ्यर्थी का वेतन डीओपीटी के समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय जापन संख्या 6/8/2009-स्था.(वेतन-11) में दिए गए प्रावधानों के तहत विनियमित किया जाएगा।

3. **आयु-सीमा:** प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष (56) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4. **प्रतिनियुक्ति अवधि:** प्रतिनियुक्ति अवधि इसी या केन्द्र सरकार के अन्य किसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य बाह्य संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति अवधि सहित सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5. **अ.जा./अ.ज.जा आरक्षण:** प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) आधार पर भरे जाने वाले पदों के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।

6. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग (एनसीएमईआई), नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर (अल्पकालिक संविदा सहित) कार्यग्रहण करने वाले व्यक्ति समय-समय पर जारी सरकारी आदेशों के अनुसार मकान किराया भत्ता (एचआरए) और केन्द्रीय सेवाएं (चिकित्सा उपस्थिति) नियम, 1994 के तहत चिकित्सा सुविधा लेने के पात्र हैं।

7. इस रिक्ति परिपत्र में शामिल एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक आवेदक संबंधित पदों के लिए पात्रता शर्तों को पूरा करने के आधार पर कृपया विभिन्न पदों के लिए पृथक आवेदन प्रस्तुत करें।


8. ऐसे पात्र अभ्यर्थियों के आवेदनों (दो प्रतियों में) को निर्धारित प्रोफार्मा (संलग्नक-1) में आमंत्रित किया गया है जिनकी सेवाएं निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ अग्रेषण करने वाले प्राधिकारियों (प्रोफार्मा संलग्नक-11 में) के प्रमाण-पत्र सहित चयन के तुरंत बाद मुक्त की जा सकती हैं:

- (i) सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र
- (ii) पिछले दस वर्षों के दौरान कर्मचारियों पर लगाई गई छोटी-बड़ी शास्तियों की सूची, यदि कोई हो, तो (यदि कोई शास्ति नहीं लगाई गई हो तो शून्य प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना चाहिए)।
- (iii) सतर्कता निकासी प्रमाण-पत्र
- (iv) पिछले पांच वर्षों (2011-12 से 2015-16) के एसीआर की सत्यापित छाया प्रतियां (प्रत्येक पृष्ठ को कम से कम अवर सचिव, भारत सरकार के रैंक द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए)।

आवेदनों को अर्हता और प्रमाण-पत्र के समर्थन में उपयुक्त दस्तावेजों के साथ इस परिपत्र के रोजगार समाचार में प्रकाशित होने के 60 दिनों के अंदर अवर सचिव (अल्पसंख्यक शिक्षा), उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कमरा संख्या 535, पांचवी मंजिल, सी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 को अग्रेषित किया जा सकता है। ऐसे आवेदनों, जो उचित माध्यम से अग्रेषित न किए गए हों या जो वांछित प्रमाण-पत्रों और आवश्यक दस्तावेजों के बिना प्राप्त होंगे, पर विचार नहीं किया जाएगा।

9. उन अभ्यर्थियों, जिन्होंने पद के लिए आवेदन किया है, को बाद में उम्मीदवारी वापस लेने की अनुमति नहीं होगी।

10. सरकार ने ऐसा कार्यबल रखने के प्रयास किए हैं जिसमें महिला-पुरुष संतुलन प्रतीत हो और महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।


28-A-2017

(के.पी.जे. जराल्ड)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23384897 फैक्स: 23389247

ई-मेल: minoritycell.edu@gov.in

प्रति:

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/सभी विभाग (सूची के अनुसार)।
2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधनीस्थ/स्वायत्त संगठन (सूची के अनुसार)।
3. स्थापना-1/स्थापना-2/स्थापना-3/स्थापना-4 अनुभाग/मानव संसाधन विकास मंत्रालय। पात्र और इच्छुक अधिकारी अपने आवेदन संबंधित प्रशासनिक अनुभाग के माध्यम से निर्धारित तारीख तक अग्रेषित कर सकते हैं।
4. सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद भवन, नई दिल्ली
5. वेब मास्टर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय - की आधिकारिक वेबसाइट में रिक्ति परिपत्र अपलोड करने के लिए।
6. श्री के.के.पंत, निदेशक, डीएवीपी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा संख्या 269, दूसरी मंजिल, सूचना भवन, सीजीओ काम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 को रोजगार समाचार में जारी करने के लिए यह परिपत्र प्रकाशित करने हेतु अग्रेषित।

7. श्रीमती पुष्पेन्द्र कौर, महाप्रबंधक-सह-मुख्य संपादक, रोजगार समाचार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सांतवी मंजिल, सीजीओ काम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 को रोजगार समाचार में यह परिपत्र प्रकाशित करने हेतु अग्रेषित।
8. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इस रिक्ति का परिपत्र अपलोड करने के लिए अग्रेषित।
9. श्रम और रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय रोजगार सेवा (एनसीएस) पोर्टल, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली को अपनी आधिकारिक वेबसाइट में इस रिक्ति का परिपत्र अपलोड करने के लिए अग्रेषित।
10. फोल्डर की प्रति।

राष्ट्रीय अल्प संख्यक शैक्षिक संस्था आयोग, प्रथम तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली (संसद के अधिनियम के तहत सृजित एक सांविधिक निकाय) के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने वाले (पद का नाम)के पद हेतु आवेदन प्रपत्र

1.	नाम और डाक पता तथा टेलीफोन नम्बर (साफ अक्षरों में)						
2.	जन्म की तारीख (ईसवी सन् में)						
3.	केन्द्र सरकार नियमावली के अन्तर्गत सेवा-निवृत्ति की तारीख						
4.	शैक्षिक अर्हताएं (उच्चतम शैक्षिक योग्यता से प्रारम्भ करते हुए न्यूनतम तक। यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त हो तो अपने हस्ताक्षर से विधिवत् अधिप्रमाणित पृथक शीट संलग्न करें।)						
5.	क्या आप मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारक हैं; या						
6.	क्या आपने मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधारपर सम्बन्धित वेतन बैंड में ग्रेड वेतन अथवा समकक्ष सहित अपेक्षित वर्षों तक सेवा की है।						
7.	क्या आप जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसके लिए रिक्ति परिपत्र के कालम (ड) में दर्शायी गई शर्तों के अनुसार पात्रता रखते हैं। (कृपया 'हाँ' अथवा 'ना' जैसा भी लागू हो, में उत्तर दें।)	हां/नहीं					
8.	रोजगार का ब्यौरा, कालक्रमानुसार (केन्द्र सरकार की सेवा में प्रवेश से आरम्भ करते हुए) यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त हो, तो अपने विधिवत् हस्ताक्षर से एक पृथक शीट संलग्न करें						
कार्यालय/ संगठन	वेतनमान सहित	सेवा-अवधि	नियुक्ति की प्रकृति (नियमित/	मूल वेतन (संशोधित)			नियुक्ति की प्रकृति क्या नियमित/तदर्थ/
		से		तक	पीबी में	ग्रेड	

	धारित पद			तदर्थ/ प्रतिनियुक्ति	वेतन	वेतन	वेतन	प्रतिनियुक्ति है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	वर्तमान रोजगार की प्रकृति, अर्थात् तदर्थ अथवा अस्थायी अथवा स्थायी							
10.	यदि वर्तमान रोजगार प्रतिनियुक्ति के आधार पर हो तो कृपया उल्लेख करें (क) प्रारम्भिक नियुक्ति की तारीख (ख) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की अवधि (ग) उस मूल कार्यालय/संगठन का नाम जिससे आप संबद्ध हैं							
11.	वर्तमान रोजगार में धारित पद से संबद्ध नौकरी की आवश्यकताएं/नौकरी प्रोफाइल/नौकरी दायित्वों का संक्षिप्त विवरण (लगभग 100 शब्दों में)							
12.	क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं यदि हां तो उस तारीख का उल्लेख करें जब से संशोधित वेतनमान लागू हुआ तथा संशोधन पूर्व वेतनमान का भी उल्लेख करें।							

दिनांक	वेतन-मान (संशोधन-पूर्व)	मूल वेतन (संशोधन-पूर्व)	वेतन के संशोधन की तारीख	संशोधित वेतनमान तथा वेतन स्तर	संशोधित मूल वेतन

13.	इस रिक्त परिपत्र के लिए आवेदन करने की तारीख की स्थिति के अनुसार प्रतिमाह आहरित कुल परिलब्धियां	
14.	पद के लिए आपकी उपयुक्तता के समर्थन में अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो। (यदि स्थान अपर्याप्त हो तो कृपया पृथक शीट संलग्न करें।)	
15.	अग्रेषित करने वाले अधिकारी का नाम पिन कोड नम्बर सहित डाक का पूरा पता, टेलीफोन नम्बर और ई-मेल	
16.	क्या आप अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित हैं	
17.	टिप्पणी, यदि कोई हो	

(नियोक्ता/कार्यालय प्रमुख/अग्रेषण अधिकारी द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.....द्वारा प्रस्तुत ब्यौरे सही हैं और वे रिक्त परिपत्र में उल्लिखित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव रखते हैं।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :-

- i. श्री/श्रीमती/सुश्री.....के विरुद्ध कोई भी सतर्कता अथवा अनुशासनात्मक मामला लम्बित नहीं है अथवा चलाए जाने का विचार नहीं है।
- ii. इनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है।
- iii. भारत सरकार के अवर सचिव अथवा उनसे ऊपर के रैंक के अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित गत पांच वर्षों (2011-12 से 2015-16) तक के एसीआर की छाया प्रतियां संलग्न हैं।
- iv. * गत 10 वर्षों के दौरान इनके विरुद्ध कोई लघु/गम्भीर शास्ति नहीं लगाई गई है।
- v. * गत 10 वर्षों के दौरान इनके विरुद्ध लगाई गई लघु/गम्भीर शास्तियों की सूची संलग्न है।

(*जो लागू न हो उसे काट दें।)

3. पिछले वर्षों के लिए आवेदक के एसीआर में दिए गए समग्र ग्रेड/अंकीय ग्रेड निम्नानुसार हैं:

वर्ष	समग्र ग्रेड/अंकीय ग्रेड [शून्य (0) से दस (10) के माप पर]
2011-12	
2012-13	
2013-14	
2014-15	
2015-16	

अग्रेषण प्राधिकारी के हस्ताक्षर	
नाम और पदनाम	
कार्यालयी मोहर	
कार्यालय का पूरा पता	
अग्रेषण प्राधिकारी का ई-मेल पता	
अग्रेषण प्राधिकारी का टेलीफोन नः/फैक्स नः	

दिनांक:

स्थान:

संलग्नकों की सूची:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर	
अभ्यर्थी का नाम	
कार्यालय का पूरा पता	
अभ्यर्थी का ई-मेल	
अभ्यर्थी का लैंडलाइन टेलीफोन नम्बर	
अभ्यर्थी का फैक्स नम्बर	
अभ्यर्थी का मोबाईल नम्बर	

दिनांक:

स्थान: